न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 44 / 2022

1 बंशीधर पुत्र बक्साराम जाति सैनी निवासी राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (दौराने प्रार्थना पत्र मृतक)
1/1 मोहनलाल पुत्र बंशीधर
1/2 बाबूलाल पुत्र बंशीधर
1/3 श्रीमती छोटी देवी स्त्री बंशीधर
1/4 मु. गीता पुत्री बंशीधर
1/5 मु. बिमला पुत्री बंशीधर
2 भगवानाराम पुत्र बक्साराम
3 छोटूराम पुत्र बक्साराम जाति सैनी निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 बजरंगलाल पुत्र सागरमल जाति कुमावत निवासी राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं । दौराने प्रार्थना पत्र मृतक
1/1 महेन्द्र कुमार
1/2 रतनलाल
1/3 जयप्रकाश पुत्रगण बजरंगलाल जाति कुमावत निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 प्रहलादराय पुत्र सागर जाति कुमावत निवासी राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 मंगलचन्द
4 मनोहरलाल
5 मूलचन्द
6 बनवारी पुत्रगण पालाराम
7 मु. सरबती
8 मु. संतोष पुत्रियां पालाराम
जाति सैनी निवासीगण राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.03.2022 बमुकदमा उनवानी बजरंगलाल वगै. बनाम मंगलचन्द वगै. प्रार्थना पत्र अ.धारा 251क राज. काश्तकारी अधिनियम सन 1955 मु.नं. 248/2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबूलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 248/2017 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 492 वाके ग्राम लगरियाला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 220 में से कभी भी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 के खसरा नम्बर 492 अथवा उनके मकानात में आवागमन करने के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा न वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 के खेत खसरा नम्बर 492 में आवागमन के लिए हमेशा से खेत खसरा नम्बर 221 व 222 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रहा है जो वर्तमान में भी मौजूद है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 इसी रास्ता से अपने खेत खसरा नम्बर 492 में आवागमन करते है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 492 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता हमेशा से मौजूद रहा है तथा अब भी मौजुद है। खसरा नम्बर 221 व 222 में से होकर ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 492 में आवागमन कर रहे है जब उक्त अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 की मनमर्जी के अनुसार उनकी सुख सुविधा के लिए अपीलान्टस के खसरा नम्बर 220 में से कानून से रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने 251 ए राज. टिनेन्सी एक्ट के इस प्रावधान पर बिना गौर किये खसरा नम्बर 220 में से रास्ता कायम करने का आदेश विधि विरूद्ध दिया है जो खारिज होने योग्य है। पत्रावली के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 का अवलोकन करे तो इस जांच रिपोर्ट का आईएलआर राजोता द्वारा तैयार किया जाना प्रकट होता है तथा मौके पर केवल प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण में से प्रार्थी बजरंगलाल मृतक का उपस्थित होना बतलाते हुए जांच रिपोर्ट दी है जिस पर न तो अपीलान्ट/अप्रार्थीगण नम्बर 7 अथवा 7/1 से 7/5 व 8, 9 का मौजुद होना व इनकी उपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तैयार किये जाने का कथन किया है तथा न इस रिपोर्ट पर अपीलान्टस/अप्रार्थीगण 7 व 7/1 से 7/5, 8, 9 अथवा अन्य किसी अप्रार्थी का उपस्थित रहना बतलाते हुये जांच रिपोर्ट इनके सामने तैयार की जाना बताया गया है तथा न इस मौका जांच रिपोर्ट पर किसी पक्षकार या गांव के अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर ही करवाये गये है। जिससे यह जाहिर होता है कि गिरदावर हल्का ने न मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजुदगी में मौका जांच रिपोर्ट तैयार की है। इस मौका जांच रिपोर्ट से ऐसा भी प्रकट होता है कि यह मौका जांच रिपोर्ट मौके पर न जाकर गिरदावर हल्का द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 से साजिश कर उनके मन चाहे अनुसार प्रस्तुत की गई है तथा विचारण न्यायालय ने उक्त मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन न कर इसमें गिरदावर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपना विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध दिया है जबकि कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी पक्षकार की पीठ पीछे कोई रिकॉर्ड तैयार कर उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता तथा हर एक प्रभावित पक्षकार को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देते हुये ही विधिनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/प्रार्थीगण नम्बर 7/1 से 7/5, 8, 9 की ओर से अपनी जवाबदेही में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया तथा न अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत की गई लिखित बहस दिनांक 21.09.2021 में कथित सभी परिस्थितियों पर अपना माइण्ड अप्लाई किया तथा मात्र गिरदावर हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई साजिशी मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश गलत दिय है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। जब एक बार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 492 के दक्षिण में स्थित जमीन के लिए आवागमन हेतु खसरा नम्बर 220 की भूमि में से रास्ता कायम करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो सफलता की आशा नहीं होने से विड्रा कर खारिज करवा लिया गया तो ऐसी स्थिति में पुनः खसरा नम्बर 492 के खातेदारान (प्रार्थीगण) की आड़ में खसरा नम्बर 492 में आवागमन के लिए अपीलान्टस के खसरा नम्बर 220 में से वांछित रास्ता नहीं दिया जा सकता। क्योंकि खसरा नम्बर 492 भी उसी व्यक्ति द्वारा क्रय कर लिया गया है जिसने इस खसरा नम्बर के दक्षिण में स्थित अपनी पहले से क्रय की हुई जमीन में आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 220 में से चाहा था। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर बिना किसी प्रकार का गौर किये अपना विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध दिया है। जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण अपीलान्टस की जमीन खसरा नम्बर 220 रकबा 0.68 हैक्टेयर नगरपालिका खेतड़ी के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान में शामिल है ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 220 में से न तो कोई रास्ता कायम किया जा सकता तथा न नगरपालिका खेतड़ी को पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का निस्तारण विधिवत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

समर्थन में आरआरटी 2014(1) पेज 40, आरआरटी 2021(1) पेज 330, आरआरटी 2021(2) पेज 1286, आरआरटी 2023(1) पेज 247, आरआरटी 2022–23 सप्ली. पेज 129, आरआरटी 2023(2) पेज 1165 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्तां रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। तहसीलदार खेतड़ी के मुताबिक खसरा नम्बर 492 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 220 में से नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 336 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 492 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 के खेत खसरा नम्बर 492 में आवागमन के लिए हमेशा से खेत खसरा नम्बर 221 व 222 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रहा है जो वर्तमान में भी मौजूद है तथा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, 2 इसी रास्ता से अपने खेत खसरा नम्बर 492 में आवागमन करते है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 492 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता हमेशा से मौजूद रहा है तथा अब भी मौजुद है। खसरा नम्बर 221 व 222 में से होकर ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 492 में आवागमन कर रहे है जब उक्त अनुसार प्रार्थीगण के आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजुद है।

पत्रावली के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 का अवलोकन करे तो इस जांच रिपोर्ट का आईएलआर राजोता द्वारा तैयार किया जाना प्रकट होता है तथा मौके पर केवल प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से प्रार्थी बजरंगलाल मृतक का उपस्थित होना बतलाते हुए जांच रिपोर्ट दी है जिस पर न तो अपीलान्ट/अप्रार्थीगण नम्बर 7 अथवा 7/1 से 7/5 व 8, 9 का मौजुद होना व इनकी उपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तैयार किये जाने का कथन किया है तथा न इस रिपोर्ट पर अपीलान्टस/अप्रार्थीगण 7 व 7/1 से 7/5, 8, 9 अथवा अन्य किसी अप्रार्थी का उपस्थित रहना बतलाते हुये जांच रिपोर्ट इनके सामने तैयार की जाना बताया गया है तथा न इस मौका जांच रिपोर्ट पर किसी पक्षकार या गांव के अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर ही करवाये गये है। जिससे यह जाहिर होता है कि गिरदावर हल्का ने न मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजुदगी में मौका जांच रिपोर्ट तैयार की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते/प्रचलित रास्ते के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है। वरवक्त बहस अपीलांट द्वारा गुगल मैप भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना कर पारित नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)